गोपेश्वर थाना क्षेत्र में हुयी चोरी की वारदात का गोपेश्वर पुलिस ने किया सफल अनावरण।

चोरी की गयी नगदी के साथ किया एक अभियुक्त गिरफ्तार।

👉 दिनांक 02 फरवरी 2024 को वादी पवन बिष्ट पुत्र स्व0 किशन सिंह बिष्ट निवासी नरीपुरा छोई जिला नैनीताल हाल निवासी पाल भवन निकट पो0ऑ0 गोपेश्वर ने थाना आकर दिनांक 01 व 02 फरवरी की रात्रि को अज्ञात चोरों द्वारा वादी की दुकान व एक अन्य दुकानदार सतीश पुरोहित की दुकान का शटर तोडकर दुकान के गल्ले में रखे कुछ रुपए चोरी करने के सम्बन्ध में थाना गोपेश्वर में तहरीर दी। तहरीर के आधार पर थाना गोपेश्वर पर तत्काल मुकदमा अपराध संख्या- 03/24 धारा 380/457 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 सुमित बन्दूनी के सुपुर्द किया गया।

👉 पुलिस अधीक्षक चमोली श्रीमती रेखा यादव (IPS) महोदया द्वारा चोरी की घटित घटना का तत्काल अनावरण व चोरी में संलिप्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु अवाश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

👉 आदेशानुसार श्रीमान पुलिस अधीक्षक चमोली महोदया के चोरी का खुलासे करने हेतु श्री प्रमोद शाह, पुलिस उपाधीक्षक चमोली के महत्वपूर्ण एवं सफल पर्यविक्षण में गठित पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र के लगे सी0सी0टी0वी कैमरो की गहनता से जांच की गयी तथा क्षेत्र में मुखबिर मामूर कर विस्तृत प्रचार-प्रसार किया गया।

👉 गोपेश्वर थाना क्षेत्रान्तर्गत सुरागरसी पतारसी की गई तथा क्षेत्र में इस प्रकार के अपराध करने वाले अभियुक्तों के सम्बन्ध में मालूमात करने के साथ ही सर्विलांस सेल चमोली की टैक्निकल टीम की सहायता ली गयी।

👉 संदिग्ध की फोटो के आधार पर उक्त चोरी की घटना में आरोपी अभियुक्त अनुज उर्फ प्रदीप मैखुरी पुत्र स्वालक्ष्मी प्रसाद मैखुरी निवासी ग्राम मैखुरा थाना कर्ण प्रयाग जनपद चमोली उम्र 26 वर्ष का नाम प्रकाश में आना पाया गया।

👉 दिनांक 02.02.2024 की रात्रि को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त उपरोक्त को घिघंराण रोड प्रतीक्षालय के पास से गिरफ्तार किया गया जो कि फिर से चोरी की फिराक में जा रहा था। अभियुक्त के कब्जे से 17,310/-रू0 बरामद किये गये। बरामदगी के आधार पर मुकद्दमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि की बढ़ोत्तरी की गई। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

नाम पता अभियुक्त- अनुज उर्फ प्रदीप मैखुरी पुत्र स्वालक्ष्मी प्रसाद मैखुरी निवासी ग्राम मैखुरा थाना कर्ण प्रयाग जनपद चमोली उम्र 26 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग- 03/24 धारा 380/457/411 भादवि।

बरामद माल- 17,310/-रू0 की नकदी।

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध थाना गोपेश्वर में मु0अ0सं0- 10/2021, धारा 379/411 भादवि।

पुलिस टीम-

1. उ0नि0 कुलदीप रावत (थानाध्यक्ष थाना गोपेश्वर)
2. उ0नि0 सुमित बन्दूनी (थाना गोपेश्वर)
3. उ0नि0 नवनीत भण्डारी (प्रभारी एस0ओ0जी0 चमोली)
4. आरक्षी संजय सिंह (थाना गोपेश्वर)
5. आरक्षी संतोष नेगी (थाना गोपेश्वर)
6. आरक्षी चन्दन सिंह नागरकोटी (एस0ओ0जी0)
7. आरक्षी आशुतोष तिवारी (एस0ओ0जी0)
8. आरक्षी रविकान्त (एस0ओ0जी0)

थाना
कार्यालय